0रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2015/ आषाढ़ 19, 1937
No. 443] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2015/ASADHA 19, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

मा.का.नि. 550(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 की सं.24) की धारा 87 के उपधारा (2) के खंड(घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) नियम, 2012 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का का संक्षिप्त नाम रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार) (संशोधन)नियम, 2015 है।

 (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. रेल (वैगनों की अधिक लदाई के लिए दंडात्मक प्रभार)नियम, 2012 अनुसूची में –

 (i) स्थिति-क में भाग- II के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भाग- II

(i) बीसीएनएचएल वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	* अनुज्ञेय वहन क्षमता तथा आधा टन की सह्यता लदान मे अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	

(क) आधा टन तक	कुछ नहीं
(ख) आधा टन से अधिक किन्तु साढ़े तीन टन से अधिक नहीं	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना
(ग) साढ़े तीन टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना

* स्पष्टीकरण - यह स्पष्ट किया जाता है कि आधा टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु को प्रदान की गई श्रेणी पर लागू दर पर साधारण माल भाड़ा वसूलनीय होगा और अनुज्ञेय वहन क्षमता तथा आधा टन सह्यता लदान से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूल किए जाएंगे।

(ii) बीसीसीडब्ल्यू वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	* अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) तीन टन तक	उस वस्तु पर लागू मालभाड़ा दर का दुगुना
(ख) तीन टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू माल भाड़ा दर का तिगुना

* स्पष्टीकरण - अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूलनीय होंगे" ;

(ii) स्थिति-ख में भाग- II के स्थान पर निम्नलिखित भाग रखा जाएगा, अर्थात्:-

"भाग- II

(I) बीसीएनएचएल वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	* अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) आधा टन तक	कुछ नहीं
(ख) आधा टन से अधिक किन्तु साढ़े तीन टन से अधिक नहीं	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना
(ग) साढ़े तीन टन से अधिक,	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का पांच गुना

* स्पष्टीकरण-- यह स्पष्ट किया जाता है कि आधा टन तक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक भार पर उस वस्तु को प्रदान की गई श्रेणी पर लागू दर पर साधारण मालभाड़ा वसूलनीय होगा तथापि, यदि भार आधा टन से अधिक अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक हो तो दंडात्मक प्रभार अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए वसूल किए जाएंगे।

(ii) बीसीसीडब्ल्यू वैगनों के लिए

अधिक लदान की सीमा	* अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक लादी गई वस्तु के समग्र भार पर उद्ग्रहणीय दंडात्मक प्रभार
यदि वस्तु का भार वैगन की अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक है;	
(क) तीन टन तक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का तिगुना
(ख) तीन टन से अधिक	उच्चतम श्रेणी पर लागू मालभाड़ा दर का पांच गुना

* स्पष्टीकरण-- अनुज्ञेय वहन क्षमता से अधिक वस्तु के समग्र भार के लिए दंडात्मक प्रभार वसूलनीय होंगे" ;

[फा. सं. टीसीआर/1394/2009/3]

एन.मधुसूदन राव, कार्यपालक निदेशक, यातायात वाणिज्य (दर)

टिप्पण- मूल नियम सा.का.नि.सं. 570(अ) तारीख 17 जुलाई, 2012 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा अधिसूचना सं. सा.का.नि. 898(अ) तारीख 17 दिसंबर, 2012 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

G.S.R. 550(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) read with clause (d) of sub-section (2) of section 87 of the Railways Act, 1989(No. 24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Railways (Punitive charges for overloading of wagon) (Amendment) Rules, 2015.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Railways(Punitive charges for overloading of wagon) Rules, 2012, in the SCHEDULE,-
 (i) in Situation A, for part-II, the following part shall be substituted, namely:-

"Part-II

(i) For BCNHL wagons

Extent of overloading	***Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of half tonne**
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	

(a) upto half tonne	Nil
(b) by more than half tonne but not more than three and half tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity.
(c) by more than three and half tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class.

*Explanation.- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto half tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable and punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity and loading tolerance of half tonne.

(ii) For BCCW wagons

Extent of overloading	***Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity**
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto three tonnes	Two times of the freight rate applicable to that commodity.
(b) By more than three tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class.

*Explanation.- Punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.";

(ii) in Situation-B, for part-II, the following part shall be substituted, namely:—

"Part-II

(i) For BCNHL wagons

Extent of overloading	***Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity**
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto half tonne	Nil
(b) by more than half tonne but not more than three and half tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class.
(c) *by* more than three and half tonnes	Five times of the freight rate applicable to the highest class.

*Explanation.- It is hereby clarified that on the weight exceeding the permissible carrying capacity upto half tonne, the normal freight at the rate applicable to the commodity shall be recoverable. However, in case of weight exceeds the permissible carrying capacity by more than half tonne, punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.

(ii) For BCCW wagons

Extent of overloading	***Punitive charges leviable on the entire weight of commodity loaded in excess of permissible carrying capacity**
If the weight of the commodity exceeds the permissible carrying capacity of wagon;	
(a) upto three tonnes	Three times of the freight rate applicable to the highest class.
(b) By more than three tonnes	Five times of the freight rate applicable to the highest class.

*Explanation.- Punitive charges shall be recovered for the entire weight of the commodity in excess of permissible carrying capacity.".

[F. N. TCR/1394/2009/3]
N. MADHUSUDANA RAO, Executive Director, Traffic Comml. (Rates)

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, vide number G.S.R. 570(E), dated the 17th July, 2012 and were last amended vide notification number G.S.R.898(E), dated the 17th December, 2012.

IndiaCode

3036 GI/15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.